

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी 2026—माघ 9, शक 1947

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2026

क्र. एफ 1/1/13/0024/2025-Sec-1-10 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के पस्नुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वन्यप्राणी चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 2021 की अनुसूची चार को निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् -

संशोधन

अनुसूची - चार

(नियम -14 देखिए)

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी चिकित्सा सेवा में पदोन्नति

अनु क्रमांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा का अनुभव	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वन विभाग	वरिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी	16 वर्ष	प्रवर श्रेणी वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी	1- लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि 2-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वन) 3-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. 4-प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के प्रशासन-1 शाखा का भारसाधक अधिकारी
2.	वन विभाग	वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी	10 वर्ष	वरिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी	--तदव--
3.	वन विभाग	कनिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय श्रेणी	06 वर्ष	वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी	--तदव--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.